न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी रूबी अंसार R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:–184 / 2023

निर्णय दिनांक :–27.02.2026

उनवानी दावा :

दुर्गालाल पुत्र मोडया जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी ग्राम घाड़ तहसील दूनी जिला टॉक राज०

–वादी–

बनाम

1. रामकुंवार पुत्र मोडू जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी ग्राम घाड़ तहसील दूनी जिला टोक राज०
2. तहसीलदार महोदय, दूनी तहसील दूनी जिला टोंक

प्रतिवादीगण

–उपस्थिति –
श्री बद्रीप्रसाद विजयवर्गीय
अधिवक्ता वादी

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध प्रति0 1

वाद बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता वादी द्वारा पेश वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी की आराजीयात हाल खसरा नम्बर 1987 / 1484 रकबा 0.34 है० वाके ग्राम घाड़ पटवार हल्का घाड़ तहसील दूनी जिला टोक राज० स्थित है। वादी की उक्त आराजी भूमि के सहारे ही दक्षिण दिशा की तरफ प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1484 स्थित है। वादी ने अपनी उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु श्रीमान के यहां आवेदन प्रस्तुत करने पर न्यायालय के आदेशानुसार हल्का पटवारी एवं गिरदावर द्वारा मोके पर जाकर दिनांक 06.05.2023 को नाप चोप कर पत्थर गढ़वा दिये थे। वादी की खातेदारी की भूमि पर पत्थरगढ़ी होने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी की भूमि पर गाड़े गये पत्थरों को उखाड़कर फेंक दिया तथा भूमि की दक्षिण–पूर्वी दिशा की ओर 25 फीट एवं दक्षिणी–पश्चिमी दिशा की ओर 15 फीट भूमि पर नाजायज कब्जा कर अपने खेत में मिला लिया जिसके संबंध में वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध थाना घाड़ मे रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। वादी द्वारा बार–बार प्रतिवादी संख्या 1 को अपनी भूमि का कब्जा हटाने के लिये कहता है तो प्रतिवादी संख्या 1, वादी के साथ गाली गलोच कर लड़ाई झगड़ा करता है। वादी शांति प्रिय व्यक्ति है। प्रतिवादी संख्या 1 लड़ाकू झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है। वादी, प्रतिवादी संख्या 1 का मुकाबला करने में असमर्थ है। वादी के बार बार कहने पर भी प्रतिवादी संख्या 1, वादी की भूमि पर से अपना कब्जा नही हटा रहा है। वादी के पास उक्त भूमि के अलावा आय का अन्य कोई स्रोत नही है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी की भूमि पर नाजायज कब्जा करने से वादी को अपना एवं अपने परिवार का भरण पोषण करने मे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा करीब 5 माह से वादी की खातेदारी की आराजी भूमि मे नाजायज रूप से कब्जा कर रखा है जिसको कानूनन हटाया जाना कानूनन आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 1 का विवादित भूमि पर लगभग 5 माह से नाजायज कब्जा है। अभी तक 12 वर्ष नहीं हुये है इस कारण उक्त याद बाबत बेदखली प्रस्तुत है। आज से लगभग एक माह पूर्व जब वादी विवादित आराजीयात में फसल काश्त करने गया तो

तिवादी संख्या 1 ने वादी को विवादित भूमि काश्त करने नहीं दी और कहा कि मैं जमीन पर कब्जा नहीं छोडूंगा। न्यायालय से आदेश ले आओ जब मैं कब्जा छोड़ दूंगा इसलिये यह वाद बाबत बेदखली आराजीयात श्रीमान की सेवा में पेश है। तहसीलदार जी दूनी को जमीन का लेण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है। बिनायदावा दिनांक 06.05.2023 को उत्पन्न हुआ जब पत्थरगढ़ी होने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी की भूमि पर गाडे गये पत्थरो को उखाड़कर फेंक दिया तथा वादी की भूमि की दक्षिण–पूर्वी दिशा की ओर 25 फीट एवं दक्षिणी–पश्चिमी दिशा की ओर 15 फीट भूमि पर नाजायज कब्जा कर अपने खेत मे मिला लिया है तथा बार–बार कब्जा हटाने के लिये कहने पर भी कब्जा नही हटा रहा है जो निरन्तर रूप से जारी है। विवादग्रस्त आराजीयात व पक्षकारान श्रीमान के न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे होने से प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। दावा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 183 के तहत अन्दर मियाद पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है।

अतः वादी की अधियाचना है कि –

अ–दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत बेदखली आराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा डिकी किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को वाद वर्णित आराजीयात हाल खसरा नम्बर 1987/1484 रकबा 0.34 है० वाके ग्राम घाड़ पटवार हल्का घाड़ तहसील दूनी जिला टोक राज० से बेदखल किया जावे और वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से भौतिक रूप से कब्जा दिलवाया जावे और कब्जा प्राप्त होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 को विवादित भूमि पर कब्जा नही करने हेतु पाबंद किया जावे।

ब– खर्चा मुकदमा दिलाया जावे तथा अन्य सहायता जो वादी के हित मे लाभप्रद हो, प्रदान करायी जावे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादी सं0 1 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 वादी दुर्गालाल पुत्र मोड़या जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी ग्राम घाड तहसील दूनी, पी. डब्ल्यू–2 हंसराज बैरवा पुत्र मिश्रीलाल जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी घाड तहसील दूनी के पेश किये है। वादी ने उपस्थित होकर प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार हैः– प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2073–76 ग्राम घाड, प्रदर्श–2 व 3 नक्शा ट्रेस व प्रदर्श–4 मौका पर्चा ।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को हुबहु दोहराते हुए वाद को स्वीकार करने किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के ख. नं. ख. नं. 1987/1484 में वादी खातेदार के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रदर्श–2 व 3 नक्शा ट्रेस से स्पष्ट है कि वादी का सम्बंध उक्त भूमि से है, किन्तु साक्ष्य में विरोधाभास (Contradiction in Evidence) को दर्शाता है। वादी का मुख्य आरोप है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने उसकी भूमि के दक्षिण–पूर्वी और दक्षिण–पश्चिमी हिस्से पर क्रमशः 25 फीट और 15 फीट नाजायज कब्जा कर लिया है, लेकिन वादी द्वारा प्रस्तुत मुख्य दस्तावेज **प्रदर्श–4 मौका पर्चा** इस दावे की पुष्टि नहीं करता है। मौका पर्चा एक निष्पक्ष राजस्व अधिकारी (पटवारी/गिरदावर) द्वारा तैयार किया गया आधिकारिक दस्तावेज है। मौका पर्चा में कहीं भी प्रतिवादी के अवैध कब्जे या

अतिक्रमण का उल्लेख नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के तहत बेदखली के लिए यह सिद्ध करना अनिवार्य है कि विवादित भूमि पर प्रतिवादी का वास्तविक और भौतिक कब्जा है। जब राजस्व रिकॉर्ड और मौका पर्चा में किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा दर्शित नहीं है, तो बेदखली का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। न्यायालय केवल कल्पना या आशंका के आधार पर बेदखली की डिक्री जारी नहीं कर सकता। वादी ने स्वयं स्वीकार किया है कि दिनांक 06.05.2023 को पत्थरगढ़ी की गई थी। यदि पत्थरगढ़ी के बाद कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो वह सीमा विवाद (Boundary Dispute) की श्रेणी में आता है। केवल पत्थरों को उखाड़ने के आरोप से यह साबित नहीं होता कि भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा हो गया है, विशेषकर जब मौका रिपोर्ट इस संबंध में उल्लेख नही है। पत्रावली पर वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–4 मौका पर्चा से प्रतिवादी द्वारा क्रमशः 25 फीट व 15 फीट भूमि पर नाजायज/अवैध कब्जा होना अंकित नहीं है, जिससे यह प्रतीत होता है कि वादी का मौखिक कथन (शपथ पत्र) आधारहीन है। चूंकि वादी यह साबित करने में पूर्णतः विफल रहा है कि प्रतिवादी का विवादित भूमि पर वास्तविक कब्जा है, अतः मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के तहत बेदखली की डिक्री पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है एवं वादी का वाद खारिज योग्य है। अतः वादी वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम देवली व अलजाम रूबी अंसार आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक .....

उनवानी दावा :

दुर्गालाल पुत्र मोडया जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी ग्राम घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज०

–वादी–

बनाम

1. रामकुंवार पुत्र मोडू जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी ग्राम घाड़ तहसील दूनी जिला टोक राज०
2. तहसीलदार महोदय, दूनी तहसील दूनी जिला टोंक

– प्रतिवादी –

वाद बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 184 सन् 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ रूबी अंसार आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री बद्रीप्रसाद विजयवर्गीय वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू तहसीलदार दूनी, एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व एकपक्षीय डिक्री दी जाती है कि

आदेश

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के तहत जमाबंदी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 161 खसरा नम्बर 1987/1484 रकबा 0.34 है0 ग्राम घाड तहसील दूनी की बेदखली की डिक्री पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से वादी वाद खारिज किया जाता है।

निजी.....मुवलिक.....बाबत् .....

खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .. .. की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 27 माह 02 सन् 2026 को जारी किया गया।

दस्तख्त .....

ओहदा ..... उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)

मुहर

मुददई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए